रक्षा मंत्रालय

संयुक्त सचिव (प्रशि) एवं मुप्रअ कार्यालय

विषय - **वर्ष 2015-16 के लिए राजभाषा विभाग द्वारा तैयार किए गए वार्षिक कार्यक्रम की प्रतियों का परिचालन**

केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा विभिन्न प्रयोजनों में इसके प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी वर्ष 2015-16 के वार्षिक कार्यक्रम की एक प्रति इस नोट के साथ सभी अनुभागों को परिचालित की जा रही है।

2. अनुरोध है कि संलग्न वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के ध्यान में लाएं और अपने स्तर पर कार्ययोजना बनाकर राजभाषा के प्रयोग हेतु इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करें।

3. इस संदर्भ में यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015-16 का वार्षिक कार्यक्रम राजभाषा विभाग के निम्नलिखित पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है:-

www.rajbhasha.gov.in

(एम के सिंह)
सहा निदेशक (रा भा)

मु प्र अ कार्यालय के सभी अनुभाग अधिकारी

र मं, मु प्र अ, अं वि सं. ए/29724/मुप्रअ/राजभाषा दिनांक: 25 मार्च 2015

प्रति सूचनार्थ

सं स (प्रशि) एवं मुप्रअ के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव

निदेशक (मा सं) के निजी सचिव

निदेशक (सं एवं प्रशा) के निजी सचिव

सभी उप मुख्य प्रशासन अधिकारी के वैयक्तिक सहायक

निदेशक, र मु प्र सं के वैयक्तिक सहायक

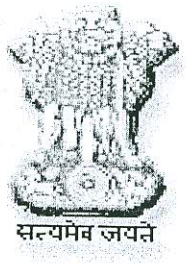

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

2015-16

संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए

वार्षिक कार्यक्रम

ANNUAL PROGRAMME

FOR TRANSACTING THE OFFICIAL WORK OF THE UNION IN HINDI

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

राजभाषा विभाग

DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

www.rajbhasha.gov.in

विषय-सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	प्राक्कथन	1-3
2.	राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निदेश	4-7
3.	हिन्दी के प्रयोग के लिए वर्ष 2015-16 का वार्षिक कार्यक्रम	8-10

प्राक्कथन

दिनांक 18 जनवरी, 1968 को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित राजभाषा संकल्प में यह व्यक्त किया गया है कि:

"यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए इसके उत्तरोत्तर प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और किए जाने वाले उपायों एवं की जाने वाली प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाएगी....."

उक्त संकल्प के उपबंधों के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/उपक्रमों द्वारा कार्यान्वयन के लिए राजभाषा हिंदी के प्रसार और प्रगामी प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है। इसके लिए हिंदी बोले जाने और लिखे जाने की प्रधानता के आधार पर जिन तीन क्षेत्रों के रूप में देश के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चिह्नित किया गया है, की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। वर्ष 2015-16 का वार्षिक कार्यक्रम इसी क्रम में जारी किया जा रहा है । इन तीनों क्षेत्रों, यथा - 'क','ख' और 'ग' का विवरण इस प्रकार है:-

क्षेत्र	क्षेत्र में शामिल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
क	बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्य और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, संघ राज्य क्षेत्र
ख	गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र
ग	'क' और 'ख' क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र

सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के क्षेत्र में प्रगति हुई है, किंतु अब भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके हैं । सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़ा है किंतु अभी भी बहुत-सा काम अंग्रेजी में हो रहा है। लक्ष्य यह है कि सरकारी कामकाज में सामान्यत: हिंदी का प्रयोग हो । यही संविधान की मूल भावना के अनुरूप होगा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि जनता की भाषा में सरकारी कामकाज करने से विकास की गति तेज होगी और प्रशासन में पारदर्शिता आएगी ।

वर्तमान युग में कोई भी भाषा वैज्ञानिक, सूचना प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी विषयों से जुड़े बिना नहीं पनप सकती । इसलिए सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों में वैज्ञानिक, सूचना प्रौद्योगिकी